प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.05.2024

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया करीब 02 कुंतल बिजली का केबल(तार) बरामद ।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 15.04.2024 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना रात्रि में देवी मन्दिर डासना के सामने गली से अभियुक्तों द्वारा बिजली के सामान को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गई। जिसमें थाना वेव सिटी पर प्रार्थना पत्र के आधार पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना के अनावरण हेतु 02 टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 06.05.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. जसवन्त पुत्र रक्षपाल निवासी ग्राम दीपपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा उम्र करीब 39 वर्ष 2. अंकुर चौहान पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी के करीब 02 कुन्तल केबल (तार) लम्बाई 253 मीटर के साथ आईएमएस कॉलेज की बराबर से जाने वाली सड़क पर कब्रिस्तान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग ठेकेदारों के अंडर काम करते है और पहले विश्वास जमाते है। उसके बाद मौका लगने पर तार व सामान को लाद कर चोरी कर लेते है। ऐसे ही हम दोनों ने मिलकर रात्रि में डासना देवी मन्दिर के सामने वाली गली से बिजली का तार व कुछ अन्य बिजली का सामान अपने एक और साथी अमित पुत्र यादराम निवासी ग्राम रजहेडा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के साथ मिलकर चुराया था। हम लोगों ने कुछ तार थोड़ा-थोड़ा करके चलते फिरते कबाडियों को कुछ तार व चुराया गया अन्य बिजली का सामान बेच दिया था। आज हम दोनों को रुपयों की जरुरत थी इसलिए हम दोनों बचे हुए तार को बेचने के लिए जा रहे थे और पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1.जसवन्त पुत्र रक्षपाल निवासी ग्राम दीपपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा उम्र करीब 39 वर्ष
2.अंकुर चौहान पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा उम्र करीब 20 वर्ष

वांछित अभियुक्त

अमित पुत्र यादराम निवासी ग्राम रजहेडा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर उक्त चोरी की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

करीब 02 कुंतल केबल (तार) लम्बाई 253 मीटर जिस पर 3CORE 120 MM लिखा है ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 18.01.2024 को थाना भोजपुर पर वादी ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मोबाइल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगाई गई। तत्पश्चात आज दिनांक 06-05-2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की सूचना पर मोबाइल फोन चोरी करने वाले अभियुक्त विकल पुत्र अनूप निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद को ग्राम चुडियाला से ग्राम मुरादाबाद की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी किया गया एक मोबाइल फोन बरामद। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त विकल द्धारा पूछने पर बताया कि यह मोबाइल फोन मैने कुछ महीने पहले ग्राम चुडियाला के बाहर भवी चंद की टयूबैल के पास एक साइकिल पर रखी जैकट की जेब से चुरा लिया था, अब तक मै इसे चला रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

विकल पुत्र अनूप निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

थाना भोजपुर पर मोबाइल फोन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर के अभियोग में 05 वर्षो से फरार चल रहा रू0 20,000/- का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-05/05/2024 को थाना मुरादनगर गाजियाबाद के वर्ष 2019 के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्त मुकेश मिश्रा को लोहे के पुल के पास गंगनहर की पटरी पर थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। अभियुक्त मुकेश मिश्रा पिछले 05 वर्षो से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन द्वारा दिनांक-16/02/2024 को रू0 20,000/- का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह हाईस्कूल पास है मूल रूप से लार, जनपद-देवरिया रहने वाला है और बिल्डिंग में टीन की छत आदि लगाने का काम करता है। मुकेश और उसके गांव के राहुल मिश्रा पहले एक

साथ मुरादनगर क्षेत्र में रहते थे। आमदनी ज्यादा न होने के कारण मुकेश और राहुल मिश्रा ने भोले भाले लोगो को नौकरी लगवाने के नाम पर धोखा-धडी करके काफी रूपये ऐंठ लिये थे और उनसे लिये पैसो को मुकेश अपने बैंक के खाते में डलवाता रहता था बाद में उन रूपये को मुकेश और राहुल मिश्रा आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे। कुछ समय बाद जब लोगो की नौकरी नही लगी तब उन लोगो ने उनसे पैसै वापस करने का दबाव डाला तो ये दोनो वहाँ से भाग गये। राहुल और मुकेश ने वादी मुकदमा आदित्य पाण्डेय से भी धोखा-धडी करके रू0 12,50,000/- ले लिए थे और यह कहा था कि बाद में लौटा दूँगा। मुरादनगर से भागने के बाद दोनो लोग जगह बदल बदलकर रहने लगे और पहचान छुपाकर दूसरी जगह काम करने लगे। अभियुक्त शातिर किस्म का व्यक्ति है जो लोगो को नौकरी लगवाने के नाम पर धोखा-धडी करके रूपये ऐंठता है और वर्ष 2019 से थाना मुरादनगर के मुकदमें में लगातार फरार चल रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

मुकेश मिश्रा पुत्र सच्चिदानन्द उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम अमोना थाना लार जनपद देवरिया उम्र करीब 32 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

जनपद गाजियाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0-1023/19 धारा-420/406/506 भादवि थाना मुरादनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वाँछित एंव रू0 20,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा ब्रिकन्को फ्राईविल लि0 कम्पनी के अन्दर खडे ट्रक में से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से श्रेकिट रबड, बोल्ट डाई और लोहे के निपल 32 कटोरी , 36 बारसल 8 रबड के गुटके बरामद।

दिनांक 05.05.2024 को थाना लिंक रोड़ पर वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिट्ठन लाल निवासी 1139 कड़कड़ मॉडल मैन बाजार साहिबाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अरुण कुमार पुत्र ओमप्रकाश तथा अनीश पुत्र महावीर ने वादी की गाड़ी बिकन्को फ्राइबिल लि0 कम्पनी के अन्दर खड़े ट्रक नं0 UP14 JT 4688 से श्रेकिट रबड , बोल्ट डाई और लोहे के निपल करीब 32 कटोरी, 36 बारसल ,8 रबड़ के गुटके बारसल चोरी कर लिया है। तत्काल लिंकरोड पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त 1. अरुण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गाँव कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. अनीश पुत्र महावीर निवासी मंगल बाजार गाँव कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को कडकड मॉडल कट से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कब्जे से श्रेकिट रबड, बोल्ट डाई और लोहे के निपल 32 कटोरी , 36 बारसल 8 रबड के गुटके बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:</u>

1.अरुण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव कड़कड़ माडल थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

2.अनीश पुत्र महावीर निवासी मंगल बाजार गांव कड़कड़ माडल थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगीः-

कब्जे से श्रेकिट रबड, बोल्ट डाई और लोहे के निपल 32 कटोरी , 36 बारसल 8 रबड के गुटके बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।